

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन (करौली)

पीठासीन अधिकारी :-

हेमराज गुर्जर (आरएएस)

प्रकरण संख्या:-22/12

दायर दिनांक:- 13.02.2012

जीसीएमएस नं. 2012/00535

उनवान

बाबूलाल पुत्र मूलचंद जाति जाटव निवासी मूडिया हाल गोपीपुर तहसील  
हिण्डौन जिला करौली राज0

वादी-02

बनाम

रामस्वरूप पुत्र बुद्धाराम जाति जाटव निवासी पालनपुर तहसील हिण्डौन  
जिला करौली राज0

प्रतिवादीगण-12


दावा बाबत तकास्मा, स्थायी निषेधाज्ञा

निर्णय

दिनांक:- 25.06.2024

संक्षिप्त में मामला इस प्रकार है कि उक्त प्रकरण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53, 188 के तहत दर्ज किया गया था उक्त प्रकरण में वादीगण व वादीगण वकील आज दिनांक को उपस्थित नहीं प्रकरण में बार-बार वादीगण व वादीगण वकील को आवाज दिलवाई गयी आवाज दिलवाने के बावजूद वादीगण व वादीगण वकील उपस्थित नहीं। जिससे जाहिर होता है कि वादीगण व वादीगण वकील प्रकरण आगे चलाने में रूचि नहीं ले रहे है। अतः मुकदमा न0 22/12 बाबूलाल बनाम रामस्वरूप अदम हाजिरी व अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।

यह निर्णय आज दिनांक 25.06.2024 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

  
(हेमराज गुर्जर)

उपखण्ड अधिकारी  
हिण्डौन

